



३३५/१

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 8351 /28/76/एक/2018-19

दिनांक 20 दिसम्बर 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बुलन्दशहर।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनाईटेड बैंक आफ इंडिया	1450010069234	IFSC Code UTBIOBUL552	156.561

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० बुलन्दशहर	वार्ड नं० 17 में मो० इन्द्रा कालोनी प्रथम में भाई पुरा रोड से कमल वाली गली, रतन वाली गली रमेश वाली गली, मनोज वाली गली, सोनू वाली गली, अशोक वालजी गलरी में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.741
2	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० बुलन्दशहर	वार्ड नं० 17 में मो० आनन्द विहार पार्ट-4 में इकराम वाली गली एवं युसूफ मलिक वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.778
3	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० बुलन्दशहर	वार्ड नं० 17 में मो० आनन्द बिहार पार्ट 3 में मकसूद के घर से शहजाद के घर तक एवं बी०डी० गार्डन वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.383
4	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० बुलन्दशहर	वार्ड नं० 17 में मो० आनन्द बिहार पार्ट 2 में शेरू के घर से स्याना रोड की ओर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	19.871
5	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० बुलन्दशहर	वार्ड नं० 17 में मो० आनन्द बिहार पार्ट 1 में अनूपशहर रोड से शूरू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.507
6	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० बुलन्दशहर	वार्ड नं० 05 में मो० नजीमपुरा भूड राना हास्पिटल से रितेश/महेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.944



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

7	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 11 में मो० मुरारी नगर में पहासू रोड गली नं० 05 एवं गलजी नं० 3/2 में उच्ची करण एवं इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.763
8	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 11 में मो० मुरारी नगर में सिद्धेश्वर रोड पर नवदुर्गा आर०ओ० सिस्टम से मदनलाल शर्मा के मकान के आगे मोड तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.605
9	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 11 में मो० मुरारी नगर में राम नगर शिकारपुर रोड से सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के पीछे वाली गली एवं पहासू शिकारपुर रोड से गली नं० 08 में इण्टरलाकिंग टाईल्स व नाली निर्माण कार्य।	6.010
10	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 12 में मो० माता घाट में नारायण सैनी से चामड मता मंदिर और माता घाट रोड से रेलवे लाइन रोड के पास तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	10.641
11	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 15 में मो० दुकानी में मयंक अग्रवाल के मकान से लवली आईसक्रीम की फैक्ट्री, राम किशन वर्मा के मकान से मोहन लाल गुप्ता के मकान तक, केशवानन्द के मकान से शकुन्तला देवी के मकान तक एवं अमरनाथ (तेलवालो) के मकान से विजय पण्डित के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.627
12	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 11 में मो० मुरारी नगर में पोलिटेक्निक के सामने मंदिर रोड से प्रोफेसर अजय छोकर के मकान से राशन की दुकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.952
13	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 12 में मो० बुर्ज उस्मान राजकुमार सैनी की दुकान से ओमप्रकाश सैनी की फैक्ट्री तक मो० बापू नगर एन०एस० पब्लिक स्कूल से संजय के मकान तक एवं मो० नया गंज में प्यारे लाल गौतम से पथवारी मंदिर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.751
14	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 11 में मो० आवास विकास कालोनी पहासू रोड से जी०टी० रोड तक नाली निर्माण कार्य।	21.193
15	बुलन्दशहर	मु०अ०-37	न०पा०प० खुर्जा	वार्ड नं० 11 में मो० मुरारी नगर में गन्दा नाला किला रोड जे०पी० पब्लिक स्कूल पर योगेश शर्मा से महेन्द्र, महेन्द्र से सुनील मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.795
	योग				156.561

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

W



324/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक